



199

(68)

श्री राजेश नाथसोनी  
श्री 19-9-18 वा  
पुस्तक 2  
199

राजस्व निगरानी :- 5740 / 2018/श्री  
प्रस्तुति दिनांक :- १६/६/२०१८

समदा: माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर, कैम्प- इन्दौर म०प्र०

सुनवापन - 5897/2018/इन्दौर अन्तः

राजेश गुप्ता --- प्रार्थी/निगरानीकर्ता  
विरुद्ध  
कमलाबाई --- प्रत्यर्थी/प्रतिप्रार्थीगण

वावेदनपत्र अन्तर्गत धारा: ३५(३) म०प्र० मू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

सदर निगरानी प्रकरण में प्रार्थी/निगरानीकर्ता की  
और से विनम्र प्रार्थना है कि :-

- १) यह कि, सदर निगरानी प्रकरण बाज माननीय महोदय के समदा प्राथमिक सुनवायी पर नियत थी।
- २) यह कि, प्रार्थी/निगरानीकर्ता के अभिमाणक महोदय अन्य न्यायालयीन प्रकरणों में साक्ष्य चलाने के कारण काफी व्यस्त रहे और जब प्रार्थी अभिमाणक ३-०० बजे श्रीमान के न्यायालय में उपस्थित हुए तो यह ज्ञात हुआ कि निगरानी अदम पेरवी में सारिज कर दी गयी है।
- ३) यह कि, प्रार्थी अधिकता के द्वारा जानबूझ कर कोई लापरवाही या त्रुटि नहीं की गयी है, देरी से उपस्थित होने का वास्तविक तथा सद्भाविक कारण रहा है, जो कि क्षमा योग्य होकर, निगरानी को बाज के बाज पुनः सुनवायी पर लिया जाना न्याय हित में आवश्यक होगा।

अतः माननीय महोदय से सादर प्रार्थना है कि यह आवेदन स्वीकार कर, बाज दिनांक १६/६/१८ को निगरानी जो अदम पेरवी में सारिज की गयी है, उसको पुनः सुनवायी पर लिये जाने की अनुकम्पा होवे तथा क्लिम्ब से उपस्थित होने को क्षमा प्रदान होवे, यही विनय है।

इन्दौर, दिनांक:- १६/६/१८

प्रस्तुतकर्ता प्रार्थी/निगरानीकर्ता

Rajiv Nair

द्वारा अभिमाणक

